

मोबाइल को लेकर ताल्लिखानी फरमान



आरटीआई के '30 दिन' बने '365 दिन'

SPECIAL REPORT

~~नवीन~~ गलकर

मामला 9 सितंबर 2025 का है। आवेदक ने जानकारी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक आवेदन दायित्व किया था। कानून के मुताबिक, लोक सूचना अधिकारी को हर हाल में तीस दिनों के भीतर आवेदक को जानकारी उपलब्ध करानी थी। लेकिन, विश्वविद्यालय के लापरवाह तंत्र ने इस तय समय सीमा को टेंगा दिखाते हुए चुप्पी साध ली। जब तय तीस दिनों में कोई जवाब नहीं मिला, तो कानूनन आवेदक ने प्रथम अपील दर्ज कराई। यहां से शुरू होता है प्रशासनिक लापरवाही और व्यवस्था के मज़ाक का असली सिलसिला। प्रथम अपील दर्ज होने के बाद महीनों बीत गए और कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर अचानक प्रथम अपीलीय अधिकारी की नींद टूटी। अपीलीय अधिकारी की ओर से 15 सितंबर 2026 की तारीख का पत्र आवेदक को प्राप्त हुआ, चौंकिंग मत!

(शेष पृष्ठ 4 पर)



(शेष पृष्ठ 4 पर)

सुविचार

'असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं! बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं'

संपादकीय

सख्ती पर सवाल

पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की सख्ती के उपरांत सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह बताता है कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर संविधान द्वारा नागरिकों को मिली आजादी का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। कोर्ट द्वारा हिरासत में रखे लोगों को रिहा करने, मेट्रो सेवाएं बहाल करने तथा इंटरनेट सुविधा यथाशीघ्र चालू करने का निर्देश देकर कोर्ट ने साफ संदेश देने का प्रयास किया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में एक मूलभूत अधिकार है, न कि सरकार द्वारा दी गई सुविधा। उल्लेखनीय है कि गत दस अक्टूबर को कॉंग्रेस जनता पार्टी और कुछ अन्य संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। जिसको रोकने के लिये दिल्ली सरकार ने अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय किए थे। इस दौरान सात हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने को लेकर सवाल उठाये गए। लोगों ने जगह-जगह सड़कों पर अवरोधक लगाने, क्षेत्र के मेट्रो स्टेशनों पर बंदिश लगाने तथा प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सख्ती को लेकर चिंता जाहिर की। कहा गया कि पुलिस ने एहतियाती दायित्वों से बढ़कर आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। निस्संदेह, आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जवाबदेही अधिकारियों की बनती है। जब आंदोलन आदि के दौरान हिंसा होने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की आशंका हो तो आसन्न खतरों के मद्देनजर अधिकारियों की कार्रवाई करना बनता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि इन अधिकारों का उपयोग कानून की सीमाओं में ही किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने पर लोगों को हिरासत में लेना, निर्धारित निषेधाज्ञा वाले इलाकों से बहुत दूर तक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना, सार्वजनिक सेवाओं पर रोक लगे तो क्या यह आम लोगों को दंड देने जैसा नहीं है? तभी शीर्ष अदालत ने कोर्ट-परिसर के आस-पास रोक लगाने वाले नोटिस भी तुरंत हटाने के निर्देश दिए। जिससे नागरिक-अधिवक्ता बिना किसी बाधा के यहां पहुंच सकें। दरअसल, विपक्षी दल लोगों को हिरासत में रखने और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं। निस्संदेह, पुलिस को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। बेशक, प्रदर्शनकारियों के साथ ही कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाया जाए। यह एक हकीकत है कि देश के लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का भरोसा विश्वसनीय जवाबों, खुली व निष्पक्ष जांच और संस्थागत आजादी पर ही निर्भर करता है। वहीं एक मजबूत लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को लेकर संशय नहीं होना चाहिए। जरूरी है कि वह असंतुष्ट लोगों की शिकायतों को सुनें, असहमति का सम्मान करते हुए कानून-व्यवस्था बनाये रखें और अदालत के निर्देशों का सम्मान करें। निस्संदेह, शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण सीमा-रेखा खींची है। इसी आलोक में सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों में संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता का अतिक्रमण न हो। हालांकि, सीजेपी व विपक्ष के तैवरों को देखते हुए यह करना आसान भी नहीं होगा।

धार की बेटी ने तेराकी प्रतियोगिता में रचा इतिहास

बनी धार की पहली महिला तैराक जिस ने नेशनल व इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिताओं में अपना स्थान बनाया

■ धार । संभाग पोस्ट

बेंगलुरु में आयोजित सेकंड एशियन मास्टर प्रतियोगिता जो की चार अक्टूबर से दस अक्टूबर तक बेंगलुरु कर्नाटक आयोजित की गई है जिसमें धार से उमा जाट ने भी हिस्सा लिया भारत की तरह से भागीदारी की और 7वां स्थान प्राप्त किया धार के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। उमा जाट ने अपने शहर माता पिता व भारत देश नाम रोशन किया और इंटरनेशनल तरक्की प्रतियोगिता में भारत की झंडा फहराया जिस के लिए उन्हें अपने कोच सत्यप्रकाश यादव (सुबेदार) मध्य प्रदेश स्विमिंग फेडरर और सभी सहयोगीयो ने बधाई दी। वर्तमान में उमा जाट इंदौर के प्रसिद्ध विद्यालय इंदौर पब्लिक स्कूल में कार्यरत है और उनकी इस मेहनत , लगन और कार्य की सराहना करते हुए विद्यालय के डायरेक्टर श्री अचल जी चौधरी और उप्राचार्य महोदय सचिन गुप्ता और खेल शिक्षक गोपाल जी पालीवाल और समस्त शिक्षकों द्वारा बधाई दी गई और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।



SME का टर्नओवर दोगुना करने की संभावनाओं पर कार्य करे IABC



■ इंदौर । संभाग पोस्ट

होटल साउथ एवेन्यू, इंदौर में इंडो-अमेरिकन बिजनेस काउंसिल (IABC) के इंदौर चैप्टर की वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन IABC के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में इंदौर के सांसद माननीय श्री शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगोष्ठी का मुख्य विषय SME (लघु एवं मध्यम उद्योग) क्षेत्र की आय एवं टर्नओवर को दोगुना करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करना था। सांसद श्री शंकर लालवानी ने इंदौर के SME उद्योगों को निर्यात के क्षेत्र

में बढ़ावा देने, नवाचार (इनोवेशन) को प्रोत्साहित करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करने के सुझाव दिए। IABC के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय मिश्रा ने सभी SME उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि IABC के 15 देशों में सक्रिय कार्यालय हैं, जो संबंधित देशों की सरकारों के साथ जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से अमेरिका, कनाडा, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में संस्था सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार

के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के विकास आयुक्त (DC) कार्यालय के अधिकारी IABC के साथ निकटता से कार्य कर रहे हैं। इंदौर चैप्टर के अध्यक्ष श्री विनय कलानी ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। विशेष रूप से लालवानीजी को विश्वास दिलाया कि आपके इंदौर का उड़ड़ डबल करने का सपना है वो अब हमारा भी सपना है और हम इसमें आप के साथ रहेगे और इसी के लिए हम एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए काम करेंगे हमारे 15 देशों में ऑफिस है और इंडिया में स्टेट

वाइस चैप्टर है जो एक्सपोर्ट ऑपच्युनिटी एक्सपोर्ट मार्केट एवं लोकल मार्केट के लिए नेटवर्किंग मार्केट रिसर्च एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम सेमिनार करेंगे उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि यदि वे किसी वस्तु या मशीनरी का आयात करते हैं, तो भारत में लाने के बाद उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें, उसमें आवश्यक सुधार करें और उसके बाद उस वस्तु का उत्पादन भारत में ही करने का प्रयास करें। इससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता निर्भरता कम होगी। विशेष अतिथि रमेश गुप्ता कैंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने विशेष जानकारी प्रदान की एवं पूर्ण सहयोग का वायदा किया। डॉ अजय मिश्राजी अंतरराष्ट्रीय चेयरमैन iabc ने इंदौर चैप्टर अध्यक्ष विनय कलानी सीनियर उपाध्यक्ष विष्णु गोयल उपाध्यक्ष से ल शर्मा। सचिव राकेश जैन सह सचिव संतोष वाधवानी। महिला विंग की अध्यक्ष पल्लवी व्यास सचिव मीनाक्षी गोयल। यूथ विंग के अध्यक्ष वरुण पोरवाल उपाध्यक्ष जशन गुप्ता को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मालवा चेंबर के प्रेसिडेंट श्री अजीत नारंग जी, AIMP के चेयरमैन श्री योगेश मेहता जी, AIMP के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया जी, डॉ. अनिल खरिया जी एवं बड़ी संख्या में उद्योगपति और बिजनेस लीडर उपस्थित थे।

‘तुम मेरे हो’ के लिए संजू राठौड़ और ईशा मालवीय की जोड़ी फिर लौटी मराठी गाने ‘नखरे’ के साथ



जयसिंह रघुवंशी

हिटमेकर संजू राठौड़ एक बार फिर अपने नए गाने ‘नखरे’ के साथ लौट आए हैं। यह एक जोशीला मराठी ट्रैक है, जिसमें उनका खास सिंगिंग स्टाइल, दमदार बीट्स और कैची हुकस्टेप सुनने और देखने को मिलता है। गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय पर फिल्माए गए इस गाने में मस्ती और एनर्जी का शानदार मेल है, जो दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। इस गाने के साथ संजू राठौड़ और ईशा मालवीय की जोड़ी एक बार फिर

साथ आई है। दोनों इससे पहले भी मराठी ट्रैक के लिए साथ काम कर चुके हैं। संजू की आवाज और गाने की शानदार बीट्स ‘नखरे’ को एक अलग पहचान देती हैं, वहीं इसका मजेदार हुकस्टेप गाने को और भी खास बनाता है। गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इस गाने में जान डाल दी है। दोनों की केमिस्ट्री और मजेदार हुकस्टेप गाने की एनर्जी को और बढ़ाते हैं। ‘नखरे’ फिल्म ‘तुम मेरे हो’ का हिस्सा है और इसके म्यूजिक में मराठी रंग

संजू राठौड़ अपने खास मराठी म्यूजिक स्टाइल और कैची हुकस्टेप के साथ लाए गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय का नया गाना

लेकर आता है। यह गाना अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। गाने के बारे में बात करते हुए संजू राठौड़ ने कहा, ‘नखरे का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत मजेदार अनुभव रहा। इस गाने में अपने मराठी म्यूजिक स्टाइल को लाना और इतनी एनर्जी से भरे ट्रैक पर काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका हुकस्टेप इसे और भी मजेदार बनाता है। मैं इस बात से खुश हूँ कि गाना इतना अच्छा बना है। उम्मीद है कि लोगों को यह पसंद आएगा।’ गुरमीत चौधरी ने कहा, ‘नखरे की एनर्जी काफी अलग है और इसकी शूटिंग करने में बहुत मजा आया। संजू ने अपने मराठी स्टाइल से इस गाने को एक नया अंदाज दिया है। ईशा और मैंने इसकी शूटिंग के दौरान खूब एंजॉय किया, खासकर

हुकस्टेप को। मैं दर्शकों के सामने यह गाना आने को लेकर काफी उत्साहित हूँ।’ ईशा मालवीय ने कहा, ‘नखरे का अंदाज बहुत मजेदार और यंग है। इस गाने के लिए संजू के साथ दोबारा काम करना मेरे लिए खास रहा और मुझे इसका मराठी म्यूजिक बहुत पसंद आया। गुरमीत और मैंने इसकी शूटिंग के दौरान खूब मस्ती की, खासकर हुकस्टेप करते हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि यह गाना आखिरकार रिलीज हो गया है और अब लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं।’ ‘नखरे’ को संजू राठौड़ ने गाया है और इसमें गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय नजर आ रहे हैं। यह गाना अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जबकि फिल्म ‘तुम मेरे हो’ 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

पर्व व त्योहारों के दौरान महिलाएं निर्भीक होकर करें भक्ति, इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग करती रहेंगी पुलिस की मोबाइल शक्ति

नवरात्री पर्व के दौरान गरबा पंडालों/भक्ति स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महिला पुलिस सहित शक्ति मोबाइल टीम को, पुलिस कमिश्नर इंदौर ने ब्रीफ कर किया खाना शहर के विभिन्न भक्ति स्थलों पर शक्ति मोबाइल, निरंतर पेट्रोलिंग कर आसामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रख करेंगी कार्यवाही। इस दौरान महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाईन न. 70491-24444 भी किया गया जारी।



■ इंदौर । संभाग पोस्ट

शहर में महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण तथा नवरात्री पर्व के दौरान गरबा पंडालों व विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में

महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भक्ति स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त इंदौर नगरीय श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा

निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा शहर के सभी थाना क्षेत्रों में महिला पुलिस बल सहित शक्ति मोबाइल का गठन किया गया है, जो नवरात्री पर्व के दौरान प्रत्येक दिवस भक्ति स्थलों जैसे गरबा पंडाल / भजन संध्या / कन्या पूजन / भंडारा आदि विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आसपास तैनात रहेंगी और लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। उक्त शक्ति मोबाइल को आज दिनांक 12.10.26 को पुलिस आयुक्त कार्यालय पलासिया इंदौर से पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इसमें लगे पुरुष व महिला बल को ब्रीफ कर 15 वाहनों की टीम को खाना किया गया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह ने



सभी को ब्रीफ करते हुए बताया कि, महिला अपराधों पर अंकुश लगाने एवं नवरात्री के दौरान महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये शक्ति मोबाइल का गठन किया गया है, जो प्रत्येक एसीपी अनुभाग के अंतर्गत कार्य करेंगी। जिसमें एक महिला उपनिरीक्षक/निरीक्षक प्रभारी, 02 महिला आरक्षक तथा 02 पुरुष आरक्षक सहित, चार पहिया वाहनों पर टीम तैनात रहेंगी, जो क्षेत्र के गरबा पंडाल / भजन संध्या /

कन्या पूजन / भंडारा आदि आयोजित धार्मिक कार्यक्रम स्थल पर प्रतिदिन रात्रि के समय लगातार पेट्रोलिंग करती रहेंगी और मनचलों /छेड़छाड़ करने वालों/कार्यक्रम के आसपास नशा करने वालों व रास्तों गलियों पर संदिग्ध दिखने वाले और अवैधानिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगी और उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करेंगी। साथ ही वहां उपस्थित लड़कियों व महिलाओं व आयोजक महिलाओं से संवाद भी बनाये रखेंगी और कोई भी समस्या होने पर वरिष्ठ अधिकारियों

के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। एवं महिलाओं एवं लड़कियों के लिए महिला हेल्पलाईन न. 70491-24444 जारी किया गया है जिससे उन्हें कोई समस्या या परेशानी होने पर संपर्क कर सकती है। इस दौरान अति. पुलिस आयुक्त (अप./मुख्या.) इंदौर श्री आर. के. सिंह सहित नगरीय इंदौर के पुलिस अधिकारीगण व शक्ति मोबाइल में तैनात महिला एवं पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहें।

पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश, आदतन अपराधियों को थाना हाजिरी और अन्य शर्तों का करना होगा पालन

आगामी त्योहारों के दौरान शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इंदौर पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने 17 बदमाशों को जिलाबंद करने और 5 आदतन अपराधियों पर निर्बंधन आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत प्रकरणों की सुनवाई और परीक्षण के बाद की गई है। पुलिस के अनुसार, संबंधित बदमाशों के खिलाफ शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गंभीर धाराओं में कई अपराध दर्ज हैं। पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद उनकी गतिविधियों में सुधार नहीं आने और क्षेत्र की शांति-व्यवस्था प्रभावित होने की बात सामने आई थी। इसके बाद संबंधित जोन के अधिकारियों ने प्रकरण तैयार कर पुलिस कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत किए।

इंदौर जल संकट: प्यास बुझाने में काम आएंगे पुराने कुएं और बावड़ी, हर वार्ड में होंगे बड़े बदलाव



■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर में इस वर्ष कम बारिश होने के कारण जल संकट की स्थिति बनने लगी है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए नगर निगम को अब पुराने परंपरागत जल स्रोतों की याद आई है। निगम प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि शहर के

प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक कुएं या बावड़ी पर हाइड्रेंट बनाया जाएगा। इसी हाइड्रेंट के माध्यम से संबंधित वार्ड के समस्याग्रस्त इलाकों में पानी की सुचारु आपूर्ति की जाएगी।

जल संकट और मास्टर प्लान की तैयारी

इस साल सामान्य से कम वर्षा होने के कारण यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि जनवरी के महीने से ही शहरवासियों को पानी की भीषण किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इस संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने अपनी ओर से अग्रिम तैयारियां आरंभ कर दी हैं। महापौर पुष्पमित्र भार्गव के अनुसार पानी को व्यर्थ बहने से बचाने और उसके सही उपयोग के प्रति

जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़े स्तर पर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक वार्ड के लिए एक विशेष वाटर मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा।

समस्याग्रस्त क्षेत्रों की सूची और जल स्रोतों का सर्वे

मास्टर प्लान के अंतर्गत ऐसे सभी क्षेत्रों को चिन्हित कर उनकी सूची बनाई जाएगी जहां नर्मदा जलप्रदाय की मुख्य लाइनों उपलब्ध नहीं हैं और वहां के निवासी अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से बोरिंग पर आश्रित हैं। ऐसे इलाकों को सूचीबद्ध करने के उपरांत वहां की कुल जल आवश्यकता का सटीक आकलन किया जाएगा। महापौर ने स्पष्ट किया कि हर

वार्ड में स्थित प्राकृतिक जल स्रोत जैसे कुएं और बावड़ी पर हाइड्रेंट निर्मित होंगे। इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को सर्वे कर उपयुक्त कुओं और बावड़ियों को चिन्हित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

यशवंत सागर और ड्रेनेज वाटर का उपयोग

राहत की बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा यशवंत सागर तालाब के सूखने पर उसे नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के जल से भरने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय से यशवंत सागर तालाब के माध्यम से प्रतिदिन मिलने वाले 30 एमएलडी पानी को लेकर जो चिंता बनी हुई थी वह पूरी तरह समाप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त नागरिकों तक ड्रेनेज के ट्रीट किए गए पानी को आसानी



से पहुंचाने के लिए विशेष रूप से अलग टैंकर लगाए जाएंगे। ये टैंकर निर्माण कार्य वाली जगहों पर पानी की आपूर्ति करेंगे।

कड़े कदम और नई जल नीति का खाका

शहर में जल संरक्षण के लिए जनवरी के महीने से सभी वॉशिंग सेंटों का संचालन बंद करने की योजना बनाई गई है। पूरे शहर के

लिए एक विस्तृत और नई जल नीति तैयार की जा रही है, जिसे आगामी सप्ताह में होने वाली महापौर परिषद की बैठक के समक्ष पेश किया जाएगा। इस नई जल नीति के प्रावधानों के आधार पर ही कार्य करते हुए इस वर्ष शहर को संभावित जल संकट से उबारने का प्रयास किया जाएगा।



आरटीआई के '30 दिन' बने '365 दिन'

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस पत्र के संदर्भ में साफ-साफ वही प्रथम अपील दर्ज करने की दिनांक 10 सितंबर 2025 दर्ज थी। और बैठक की तारीख कब तय की गई? अपील प्रस्तुत करने की तारीख को ठीक एक साल होने से एक दिन पहले यानि 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार, सायं पांच बजे! ज़रा सोचिए, जिन प्रथम अपीलीय अधिकारी को खुद तीस दिनों के अंदर न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए थी, उन्होंने न्याय की प्रक्रिया को

ही 'एक साल के संडे-मंडे' में उलझाकर रख दिया। क्या कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?

न्याय की आस में आवेदक निर्धारित तारीख यानी 9 अक्टूबर 2026 को शाम ठीक पांच बजे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलगुरु के चेंबर के बाहर जा पहुंचे। लेकिन अंदर जाने से ठीक पहले उनका सामना एक ऐसी अजीबोगरीब और तानाशाही व्यवस्था से हुआ, जिसने लोकतंत्र

की धज्जियां उड़ा दीं। चेंबर के गेट के वहां एक पोस्टर चस्पा था 'मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है।' वहां एक बंदूकधारी सिक्क्योरिटी गार्ड तुलसीराम पाल तैनात था। जैसे ही आवेदक अंदर जाने लगे, गार्ड ने उन्हें रोक दिया और हुक्म दिया कि पहले मोबाइल बाहर रखो। आवेदक ने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सवाल किया 'यह प्रतिबंध किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश से लागू किया गया है? इसका वैधानिक आधार क्या है? यदि विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा,

गोपनीयता या प्रशासनिक व्यवस्था के उद्देश्य से ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसके लिए जारी कोई लिखित आदेश या नियम हमें दिखाएं।' हम नियम का पालन करने को तैयार हैं। गार्ड के पास इस बुनियादी और कानूनी सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसका रटा-रटाया और गैर-जिम्मेदाराना जवाब था साहब जो कहेंगे वही नियम बन जाता है 'हम साहब के आदेशों का पालन करते हैं, हमें कुछ नहीं पता।' जब आवेदक ने पूछा कि 'यह मोबाइल मेरी निजी संपत्ति है, इसे बाहर लावारिस छोड़ने पर यदि इसमें कोई तोड़फोड़ या गड़बड़ी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यहां मोबाइल सुरक्षित रखने के लिए कोई लॉकर या काउंटर है?' तो जवाब में सत्राटा था, क्योंकि वहां कोई व्यवस्था नहीं थी बस तानाशाही आदेश था। हंगामा बढ़ता देख विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारी डॉ लक्ष्मीकांत त्रिपाठी वहां पहुंचे। आवेदक ने उनसे भी वही कानूनी और बुनियादी सवाल दोहराया कि इस प्रतिबंध का लिखित आदेश और वैधानिक आधार क्या है। लेकिन वे अधिकारी भी कानून

की बात करने के बजाय बार-बार सिर्फ 'विश्वविद्यालय का अपना प्रोटोकॉल है' की रट लगाते रहे। वे किसी भी नियम का एक अदद कागज या लिखित आदेश पेश नहीं कर सके। काफी लंबी और बेनतीजा बहस के बाद, आवेदक ने किसी तरह अपना मोबाइल बाहर सुरक्षित किया और अंदर कुलगुरु के चेंबर में दाखिल हुए। लेकिन अंदर कदम रखते ही जो बर्ताव हुआ, वह किसी राजा-महाराजा के दरबार से कम नहीं था। कुलगुरु महोदय ने बिना कोई बात सुने तलख लहजे में कहा 'आपका समय समाप्त हो गया है।' जब आवेदक ने इस अन्यायपूर्ण रवैये पर अपनी बात रखनी चाही, तो बड़े ही घमंड और रौबदार अंदाज़ में कुलगुरु ने दो टुक कह दिया 'आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते।' यहाँ बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस कुलगुरु महोदय को प्रथम अपीलीय अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए था, जो खुद कानूनन निर्धारित तीस दिन में सुनवाई नहीं कर सके, उन्हें जायज सवालों से इतनी घबराहट क्यों है? क्या

कुलगुरु का पद किसी राजा का सिंहासन है जहाँ आम जनता या छात्र अपनी बात तक नहीं रख सकते? इस पूरे घटनाक्रम ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। क्या विश्वविद्यालय परिसर में दीवारों पर कुछ भी लिखकर चिपका देने से वह 'कानून' बन जाता है? क्या किसी भी नियम या प्रतिबंध को अस्तित्व में लाने की कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल क्या शिक्षा के इन मंदिरों में तानाशाही इस हद तक बढ़ जाएगी कि सूचना मांगने वाले नागरिकों और छात्रों को अपमानित किया जाएगा?

इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 'सत्यसंकल्प समाधान फाउंडेशन' ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए माननीय राज्यपाल महोदय को एक विस्तृत और गंभीर शिकायत पत्र प्रेषित किया है। अब देखना यह है कि राजभवन इस विश्वविद्यालयीन तानाशाही पर कितना सख्त संज्ञान लेता है, या फिर फाइलों को दबाकर इस 'व्यवस्था के मज़ाक' पर पर्दा डाल दिया जाता है।

संभाग पोस्ट सामाजिक दृढ़ता संकल्प अभियान

अब आपकी आवाज होगी बुलंद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के संग

आज के समाज में हम देख रहे हैं की शहरी परिवेश की बात करें या ग्रामीण परिवेश की आज के परिवेश में व्यक्ति अकेला पड़ता जा रहा है। आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल करते-करते अपने आप को अकेला महसूस करता है, जब उसके ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आती है की जब उसके परिवारजन या मित्र बंधु उसका साथ दे। तब वह पता है कि वह अकेला खड़ा है। यह आज के समाज का सत्य है। यह भारत के ७० प्रतिशत लोगों की सच्चाई है वह किसी भी प्रकार की समस्या में हो चाहे पारिवारिक या मानसिक, सामाजिक, प्रशासनिक या चिकित्सकीय हो ऐसी किसी भी समस्या में वह पाता है कि वह अकेला है। और यदि ऐसे में किसी मोड़ पर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो तब वह नीरस हो जाता है, और किसी न किसी प्रकार की गलती कर बैठता है। समाज की ऐसी सबसे बड़ी समस्या को लेकर हमने सामाजिक दृढ़ता संकल्प का अभियान चलाया है जिसके तहत हम उन सभी ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो हमसे जुड़ेंगे तथा वे लोग जो हमसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, हमारा प्रयास यह होगा कि ऐसी किसी भी समस्या में हम उनके साथ खड़े हो जिस जगह पर वह सही है और उन्हें व्यवधान,समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में संभाग पोस्ट परिवार उनके साथ खड़ा है।

- समाज में एक कहावत प्रचलित है सत्य परेशान हो सकता है। पराजित नहीं हो सकता,
- ईश्वर की इसी प्रेरणा को हमारे मीडिया चैनल हमारे अखबार ने आत्मसात किया है और हम उन सभी समाज जनों के साथ खड़े हैं जिनके साथ सत्य है।
- ईश्वर सत्य का साथ देने वाले उनके अनुयायियों की सहायता करने स्वयं नहीं आते किंतु किसी न किसी माध्यम से सत्य का साथ दे रहे व्यक्ति की सहायता जरूर करते हैं।
- हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने यह मुहिम चलाई है जिसके तहत यदि आपके साथ सत्य है तो हम आपके साथ सदा खड़े हुए हैं
- हमारे चैनल और हमारे अखबार से जुड़े हुए सभी सदस्य गण जिनकी किसी भी प्रकार की परेशानी अब उनकी नहीं वह हमारी है।
- जब समाज दृढ़ होगा, सत्य की विजय होगी जब एकता और समान व्यवहार और ज्ञान होगा तब हमारा समाज एक नए भारत का दृढ़ निश्चय भारत का निर्माण कर पाएगा
- यदि आपका काम, स्वयं आप और आपका विचार, सत्य के साथ है तो वह आपका नहीं अपितु वह हमारा विचार होगा, क्योंकि आप भारत के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ है
- अब आम आदमी की आवाज आम आदमी की नहीं अपितु उसके साथ हमारी भी आवाज होगी इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे साथ शीघ्र से शीघ्र जुड़े और अपनी आवाज को एक नया आयाम दें और अपने समाज को अपने परिवार को और अपने देश को सशक्त बनाएं
- हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कोई नया प्रयास नहीं करना केवल सामाजिक दृढ़ता संकल्प संभाग पोस्ट अभियान का एक फॉर्म भरना है

विचार न कीजिए तुरंत संपर्क करें: 9755648321

क्योंकि दृढ़ होगा समाज तो सशक्त होगा भारत और खुशहाल होगा हमारा परिवार
सत्यम्,शिवम्,सुंदरम्। सत्यमेव जयते
भारत माता की जय वंदे मातरम्



गर्भवती महिलाओं की देखभाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कलेक्टर शिवम वर्मा ने दिए नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश; जच्चा-बच्चा के टीकाकरण की हुई समीक्षा



कलेक्टर शिवम वर्मा ने दिए नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश; जच्चा-बच्चा के टीकाकरण की हुई समीक्षा

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। हाई रिस्क गर्भावस्था की समय पर पहचान कर संबंधित महिलाओं को विशेष निगरानी में रखा जाए। यह निर्देश कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य

कार्यपालन अधिकारी हिमांशु प्रजापति और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हसानी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, प्रसव पूर्व जांच, सुरक्षित प्रसव, जच्चा-बच्चा के टीकाकरण और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई।

हाई रिस्क गर्भावस्था की समय पर पहचान जरूरी

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक गर्भवती महिला की समय पर पहचान कर उसका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराई जाए और हाई रिस्क गर्भावस्था के मामलों में विशेष निगरानी रखी जाए। आवश्यकता होने पर ऐसी

महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गर्भवती महिलाओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए मैदानी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी की जाए।

संस्थागत प्रसव और टीकाकरण पर जोर

बैठक में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने और प्रसव के दौरान सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। प्रसव के बाद माता और नवजात शिशु की नियमित देखभाल, निर्धारित समय पर टीकाकरण और

जरूरी स्वास्थ्य परामर्श सुनिश्चित करने को कहा गया। पात्र हितग्राहियों को शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

स्मार्ट चैटबॉट और सुमन पंचायत पर चर्चा

बैठक में गर्भवती महिलाओं के लिए तैयार किए गए स्मार्ट चैटबॉट और सुमन पंचायत के संबंध में जानकारी दी गई। इन माध्यमों से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, प्रसव पूर्व जांच, सुरक्षित प्रसव और मातृ-शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु प्रजापति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार इंदौर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मिलावट के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी सिलसिले में आगामी दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर मिठाई, नमकीन, मावा, घी, खाद्य तेल एवं अन्य त्योहारी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर विशेष निगरानी रखते हुए सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।

44,259 लोगों की जांच में सामने आए मामले 351 को ही एआरटी से जोड़ा, 6 मरीज इलाज से दूर

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर। एचआईवी संक्रमण की पहचान के लिए जिले में हजारों लोगों (झड़ज) की जांच हो रही है, लेकिन संक्रमितों को समय पर उपचार से जोड़ना भी स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच आईसीटीसी केंद्रों पर 44,259 लोगों की जांच में 357 एचआईवी संक्रमित मिले। इनमें से 351 को एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) से जोड़ा गया, जबकि 6 संक्रमित अब भी उपचार से नहीं जुड़ पाए हैं। यानी पहचान के बाद सभी मरीजों तक इलाज पहुंचाने का लक्ष्य अभी अधूरा है। फर्स्ट-95 अभियान में 6,313 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी संक्रमित मरीजों की संख्या मिली है। एमजीएम कॉलेज के कैंप में लगभग 215 नए संक्रमित मिले हैं, बाकी सभी अस्पतालों में आंकड़ा 30 के अंदर ही है। एचआईवी संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार की कड़ी मजबूत करने के लिए चलाए गए फर्स्ट-95 अभियान के तहत अप्रैल से सितंबर तक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। संक्रमितों को एआरटी से जोड़ने की कुल दर करीब 98.3 प्रतिशत रही। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 1,152 लोगों की जांच में 215 संक्रमित मिले। यह सभी केंद्रों में सबसे अधिक संख्या है। इनमें से 209 मरीजों को एआरटी से जोड़ा गया, जबकि 6 उपचार से बाहर हैं। जिले में उपचार से नहीं जुड़ पाए सभी 6 संक्रमित इसी केंद्र के आंकड़ों में दर्ज हैं। ऐसे में इन मरीजों तक पहुंचकर इलाज शुरू कराना स्वास्थ्य विभाग के लिए अहम चुनौती है।

यह अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या

आईसीटीसी पीपीटीसीटी एमवायच में 8,813 जांच में 10 संक्रमित मिले। पीसी सेटी अस्पताल में 4,259 जांच में 17, जिला अस्पताल इंदौर में 5,135 जांच में 24 और मल्हारगंज पॉलीक्लिनिक में 3,503 जांच में 22 संक्रमित मिले। इन केंद्रों पर सभी संक्रमितों को एआरटी से जोड़ा गया। अरबिंदो अस्पताल में 4,130 जांच में 16, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 3,074 जांच में 12, सिविल अस्पताल महू में 3,180 जांच में 10, सीएचसी बेटमा में 3,724 जांच में 11, सीएचसी सांवेर में 3,504 जांच में 8 और सीएचसी मानपुर में 3,785 जांच में 12 संक्रमित मिले। इन सभी केंद्रों पर भी उपचार से जोड़ने की दर 100 प्रतिशत रही।

ऑनलाइन सट्टेबाजी-कैसीनो नेटवर्क पर पुलिस का एक्शन इमरान खान गिरफ्तार; 2 लाख रुपए के मोबाइल जब्त

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

चंदन नगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और कैसीनो नेटवर्क के मामले में इमरान खान उर्फ मुलतानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 2 लाख रुपए कीमत के दो प्रीमियम मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हो सकता है। मामले में रईस मालिक और राहुल चौरसिया की तलाश जारी है।

मोबाइल और गेमिंग आईडी की जांच

पुलिस ने आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इनमें एक हाई-एंड फोल्डेबल स्मार्टफोन भी शामिल है। पुलिस ऑनलाइन गेमिंग आईडी, वेबसाइट, पासवर्ड और क्रेडिट-पॉइंट्स से जुड़े नेटवर्क की तकनीकी जांच कर रही है।

बैंक खातों की मनी ट्रेल खंगाली
मामले में पुलिस बैंक खातों,

आरोपियों की तलाश जारी
इमरान खान के खिलाफ पहले से जुआ अधिनियम और मारपीट



लट्टू और नकद लेन-देन की जानकारी जुटा रही है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और उसके संपर्कों की जांच की जा रही है। पुलिस बैंकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का पता लगाने में जुटी है।

के दो मामले दर्ज हैं। वहीं, राहुल चौरसिया के खिलाफ इंदौर, उज्जैन और देवास में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। मामले में रईस मालिक और राहुल चौरसिया की तलाश जारी है।

हर खबर, आपके क्षेत्र की

संभाग पोस्ट

सच के साथ, समाज के लिए

अपने व्यावसाय को दें नई पहचान!

संभाग पोस्ट में विज्ञापन दें और अपने ब्रांड को पहुंचाएं हजारों पाठकों तक

क्यों दें विज्ञापन संभाग पोस्ट में ?

- व्यापक पाठक वर्ग
- स्थानीय स्तर पर सटीक पहुंच
- सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों पर विशेष कवरेज
- विश्वसनीयता और भरोसे का अखबार
- व्यवसाय को मिले अधिक प्रचार-प्रसार

विज्ञापन के प्रकार

- डिस्प्ले विज्ञापन
- शुभकामना संदेश
- प्रोडक्ट / बिजनेस प्रचार
- टेंडर / नोटिस विज्ञापन
- रोजगार / रिक्ति विज्ञापन
- क्लासीफाइड विज्ञापन

आज ही संपर्क करें

आपका विज्ञापन... आपकी पहचान!

संपर्क करें : 9009919948

ईमेल : sambhagpost@gmail.com

बच्चों को रोता-बिलखता देख शिवराज सिंह चौहान ने जताई नाराजगी, मुख्य सचिव को फोन कर लगाई गुहार



■ भोपाल । संभाग पोस्ट

मध्य प्रदेश की हाई-प्रोफाइल बुधनी विधानसभा क्षेत्र के कोसमी गांव में गरीब परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चलाए जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। कार्रवाई के दौरान प्रभावित परिवारों की स्थिति

और बच्चों को रोता-बिलखता देखकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वे रविवार को खुद मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। मामले को लेकर शिवराज सिंह

चौहान ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को बेघर करना, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाना और पीने के पानी के

कुओं को मिट्टी से भर देना गंभीर विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबों के साथ इस तरह की कार्रवाई को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों की स्थिति और उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखें।

मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर जताई नाराजगी

घटनास्थल का निरीक्षण करने के दौरान वन विभाग और जिला प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था। इस पर केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि जब गरीब परिवारों से जुड़ा इतना गंभीर मामला सामने

आया है, तब संबंधित अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुनना और कार्रवाई के संबंध में जानकारी देना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

मुख्य सचिव को फोन कर मांगा जवाब

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को फोन किया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की भूमिका और कार्रवाई के तरीके को लेकर सवाल उठाए तथा मामले को गंभीरता से लेने की बात कही।

गरीब परिवारों की परेशानी बनी मुद्दा कोसमी गांव में हुई कार्रवाई

के बाद प्रभावित परिवारों की स्थिति चर्चा का विषय बन गई है। मकानों पर कार्रवाई, फसलों को नुकसान और पेयजल के स्रोतों से जुड़ी शिकायतों ने प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे मामलों में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि संबंधित विभाग कार्रवाई के कारणों, नियमों और प्रभावित परिवारों की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी दें।

शिवराज सिंह चौहान के मौके पर पहुंचने और मुख्य सचिव से सीधे बात करने के बाद मामला और महत्वपूर्ण हो गया है। अब संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं और प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाता है, इस पर नजर रहेगी।

रील बनाना पड़ा महंगा, युवती ने सराफा दुकान के मैनेजर से दस लाख रुपये ठगे

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक एक ज्वेलरी शॉप के मैनेजर को बहुत भारी पड़ गया। इंस्टाग्राम पर रील बनाने का झांसा देकर एक युवती ने मैनेजर को बातों में उलझाया और बैंक में जमा कराने के लिए ले जाए जा रहे 10 लाख रुपये अपनी एक्टिवा की डिक्की में रखवा लिए। इसके बाद आरोपी युवती मौके से फरार हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और एफआईआर दर्ज कर युवती की तलाश तेज कर दी है।

बैंक में नकदी जमा कराने जाते समय पुरानी परिचित से हुई मुलाकात

फरियादी अंकित उपाध्याय सराफा बाजार स्थित सांवरवाला ज्वैल्स में मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। 8 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे वे शोरूम का दस लाख रुपये का कलेक्शन बैंक में जमा कराने के लिए दो पहिया वाहन से निकले थे। डीआरपी लाइन के

पास भारतीय स्टेट बैंक के गेट के सामने उन्हें अपनी एक पुरानी परिचित आयुषी बागदे उर्फ आयुषी वर्मा मिल गई। युवती ने उन्हें रोककर बातचीत शुरू की और कहा कि वे अक्सर भारी रकम बैंक में जमा कराने जाते हैं। इसके बाद उसने पैसों के साथ फोटो खिंचवाने और इंस्टाग्राम रील बनाने का प्रस्ताव रखा।

भरोसे का फायदा उठाकर एक्टिवा की डिक्की में रखे गए थे रुपये

मैनेजर ने पहले युवती के प्रस्ताव को सिर से खारिज कर

दिया था, लेकिन युवती की लगातार जिद और कसम देने के कारण वे स्नेहलतागंज स्थित उसके घर के पास जाने के लिए राजी हो गए। घर के पास पहुंचते ही युवती ने अंकित से 10 लाख रुपये अपनी एक्टिवा की डिक्की में रखने को कहा और भरोसा दिलाया कि रील शूट करने के तुरंत बाद वह रकम वापस लौटा देगी। पहले से परिचय होने के कारण मैनेजर ने उस पर विश्वास करके पूरी रकम डिक्की में रख दी। इसके बाद युवती घर जाने का बहाना बनाकर स्कूटी लेकर वहां से निकली और फिर

कभी वापस नहीं लौटी।

पुलिस ने दर्ज किया मामला और आरोपी युवती की तलाश में जुटी

रकम लेकर युवती के अचानक गायब हो जाने के बाद मैनेजर ने तुरंत घटना की जानकारी शोरूम मालिकों और पुलिस को दी। एमजी रोड पुलिस थाने में इस धोखाधड़ी की आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युवती की सघन तलाश की जा रही है।

चेतन टेलर्स

(सूट स्पेशलिस्ट)

सुनिल खटके
मो. 9893118079

30/1. परदेशीपुरा, शिवधाम के सामने, इंदौर

डॉ. हिमांशु केलकर

एम.डी., डी.सी.एच.
नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ
मो. 9202238451

क्लिनिक: 20 जी/एच., गीतांजलि अपार्टमेंट, मार्केट रोड, विजय नगर
स्कीम नं. 54, इंदौर (म.प्र.) Email : himanshukelkar@rediffmail.com
समय : प्रातः 10.30 से 1.30 बजे, सायं 5.30 से 8.30 बजे तक
निवास : 7-बी, शालीमार टाउनशिप, ए.बी. रोड, इंदौर

श्री रवि इत्र सुगन्ध भण्डार

गुलाब, मोगरा, चन्दन, परफ्यूम इत्यादि के थोक एवं खेरीची विक्रेता

प्रोपायटर : रवि सुगन्धी
मो. 9452665448

पता: हीरानगर, मेनरोड, सुखलिया, मिलन गार्डन के पास, इन्दौर

संदीप पवार
Mob :-98260-68380

KP
|| श्री गणेशाय नमः ||

न्यू नर्मदा ट्रेडर्स

सीमेंट
बालू रेती
काली रेती, गिट्टी
ईट एवं बिल्डिंग मटेरियल के विक्रेता

4, मंगलनगर, आई.टी.आई. रोड,
बैंक ऑफ बड़ोदा के पास, पेट्रोल पम्प
के पहले, इन्दौर (म.प्र.)

रामसेवक दुर्वे
9406621084

पूजा

बुक्स एण्ड स्टेशनर्स

6/3, सुंदर अपार्टमेंट, क्लर्क कालोनी चौराहा, श्री सत्य साई बाल
विनय मंदिर के सामने, इन्दौर मो

- CBCE स्कूल बुक्स
- चिल्ड्रन बुक्स
- ऑफिस स्टेशनरी
- कम्प्यूटर स्टेशनरी
- स्कूल स्टेशनरी एवं
- गिफ्ट आयटम

AFSL SERVICES INDIA LLP

Registered Under Ministry of Corporate Affairs & MSME, Govt of India
An ISO 9001:2015 Certified Forensic Science Laboratory, LLPIN: ACN-6724

FORENSIC SCIENCE SERVICES

Scientific Assistance Towards Justice

- Crime Scene Investigation
- Handwriting, Signature & Documents Examination
- Fingerprint Examination
- Audio & Video Examination
- Voice Examination
- Computer/Cyber Crime Investigation
- Fire & Arson Investigation
- Insurance Fraud Investigation
- 65B IEA Certificate [63(4)(c) BSA]
- Cross Examination of forensic experts and reports
- Forensic Training & Internship
- Medicolegal Consultancy
- Photography Examination
- Forensic Consultancy.

www.appliforensicsciences.in

राहुल

जनरल स्टोर्स

शॉप नं. 3 मालवा मिल चौराहा, इंदौर
मो. 9977732802

सीएम बोले-राहुल गांधी सत्ता के लिए बेचैन, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस अपना इतिहास देखे



■ भोपाल । संभाग पोस्ट

राहुल गांधी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग और चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज

हो गई है। रविवार को नरसिंहपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन याद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने से

पहले अपने इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता के लिए बेचैन हैं। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं और उन पर देश के

साथ गद्दारी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप लगाने से पहले तथ्यों और प्रमाणों को सामने रखना चाहिए।

टीएन शेषन और केपीएस गिल का किया जिक्र

कांग्रेस के इतिहास का उल्लेख करते हुए सीएम यादव ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से जुड़े पदों पर रहे व्यक्तियों को बाद में राजनीतिक अवसर दिए। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। इसी तरह केपीएस गिल को भी कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री बनाए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में कांग्रेस चुनाव आयोग की

निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आधार स्पष्ट करे।

परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना

सीएम ने कहा कि आजादी से पहले देश में करीब 600 रियासतें थीं। आजादी के बाद अनेक राजाओं और महाराजाओं ने राष्ट्रहित में अपने अधिकारों का त्याग किया। इसके विपरीत, कांग्रेस की राजनीति धीरे-धीरे एक परिवार के इर्द-गिर्द केंद्रित होती चली गई। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कांग्रेस पर परिवार केंद्रित राजनीति करने का आरोप लगाया।

केरल में जीत का भी उठाया सवाल

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि

जब चुनावी प्रक्रिया के तहत केरल में कांग्रेस को राजनीतिक सफलता मिलती है, तब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इसी तरह सवाल नहीं उठाए जाते। उन्होंने सवाल किया कि यदि चुनावी प्रक्रिया कांग्रेस की सरकार बनाने में भूमिका निभाती है, तो चुनाव के समय ही आयोग पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना अधिकार का हिस्सा है, लेकिन आरोप तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर लगाए जाने चाहिए। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गंभीर आरोप लगाने से पहले उनकी पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य सामने रखना जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक दल को अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है।

फैमिली कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, संस्था पौरुष ने किया समर्थन

वकीलों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और अपमान के विरोध में कोर्ट परिसर के मुख्य द्वार पर की नारेबाजी, अधिवक्ताओं के सम्मान की उठाई आवाज

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

फैमिली कोर्ट इंदौर में प्रधान न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह के खिलाफ अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर अभिभाषक संघ के सदस्यों ने न्यायालय में वकीलों के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, अपमानित करने और प्रताड़ित करने के आरोपों को लेकर विरोध जताया। इस दौरान संस्था पौरुष इंदौर ने भी अधिवक्ताओं के समर्थन में प्रदर्शन किया और न्यायालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी की। संस्था पौरुष के अध्यक्ष अशोक दशोरा ने बताया कि वकीलों के साथ कथित अन्याय के विरोध में संस्था ने अधिवक्ताओं का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अब तक संस्था पुरुषों के साथ न्यायालयों में कथित दुर्व्यवहार और अपमान के मामलों को लेकर आवाज उठाती रही है। अब अधिवक्ताओं के साथ भी इस तरह की घटनाएं सामने आने की बात कही जा रही है, जिसका संस्था पुरजोर विरोध करती है। प्रदर्शन के दौरान संस्था पौरुष के सदस्यों ने अधिवक्ताओं के सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार की मांग करते हुए कई नारे लिखे पर्चे वितरित किए। इन नारों में 'अगर न्याय की बात है, हम एडवोकेट्स के साथ हैं', 'मत ज्यादा अभिमान करो, अधिवक्ताओं का सम्मान करो' और 'न्याय करो, अन्य नहीं' जैसे संदेश शामिल थे। इसके अलावा, संस्था की ओर से 'तुम मत हम पर अहसान करो, विक्रिम्स का सम्मान करो' तथा न्यायालयों में संबोधन की भाषा को लेकर 'नो मी लॉर्ड, नो योर लॉर्डशिप, ओनली श्रीमान, ओनली महोदय' जैसे नारे भी लगाए गए। आंदोलन में शामिल अधिवक्ताओं ने इन नारों वाले पर्चों को हाथोंहाथ लिया और प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की। इस दौरान अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने संस्था पौरुष की पहल और अधिवक्ताओं को दिए गए समर्थन की सराहना की। प्रदर्शन के जरिए अधिवक्ताओं के सम्मान, न्यायालयों में मर्यादित व्यवहार और शिकायतों के उचित निराकरण की मांग उठाई गई।



■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में दोस्ती खत्म करने और मोबाइल पर बातचीत बंद करने से नाराज दो युवकों द्वारा एक युवती की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती को योजनाबद्ध तरीके से निखिल के प्राइम सिटी स्थित घर बुलाया गया, जहां बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने पर अभिषेक और निखिल ने उस पर चाकू से कई वार किए। युवती की हालत बिगड़ने के बावजूद आरोपियों ने उसकी छोटी बहन को उसे अस्पताल ले जाने से रोक दिया। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाई गई युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, मृतका वैष्णवी की अभिषेक नामक युवक से दोस्ती थी। कुछ समय बाद वैष्णवी ने अभिषेक से बातचीत करना बंद कर दिया था। इससे नाराज अभिषेक उसके घर पहुंचा और उसे डराने-धमकाने लगा। इस घटनाक्रम की जानकारी वैष्णवी की छोटी बहन को मिली तो उसने अभिषेक के दोस्त

निखिल को पूरी बात बताई।

इसके बाद निखिल ने वैष्णवी और उसकी छोटी बहन को प्राइम सिटी स्थित अपने घर बुलाया। वहां चाय-नाश्ते के बाद बातचीत के लिए अभिषेक को भी बुला लिया गया। घर पर चारों के बीच बातचीत के दौरान फिर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इसी दौरान अभिषेक और निखिल ने वैष्णवी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में उसे कई घाव आए और काफी खून बहने लगा।

वैष्णवी की हालत बिगड़ने पर घर में रखी हल्दी से उसके घावों पर प्राथमिक उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर होती चली गई। उसकी छोटी बहन उसे तत्काल अस्पताल ले जाना चाहती थी, मगर आरोप है कि दोनों युवकों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। बाद में गंभीर हालत में वैष्णवी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।



शुद्ध मावे की मिठाइयों के निर्माता एवं विक्रेता

श्री चारभुजा

स्वीट्स एवं नमकीन

गुलाब जामुन, मावाबाटी, काला जामुन, रसगुल्ला इत्यादि

662/9, नेहरु नगर, अटल द्वार, इन्दौर
शाखा: 60, न्यूवेवास रोड, राजकुमार ब्रिज, इंदौर

RAVI S. SAHU
Managing Director
+91-98260-77714

रवि®

मसाले बस चुटकी भर...

मसाले एवं पापड़

RAVI HOME INDUSTRIES

12, Nirmal Nagar, Piplyahana, Indore - 452 001, Ph.: 0731-2490449
Web : www.ravihomeind.com | E-mail : ravisahurhi@gmail.com

|| श्री गणेश ||

सेवक राम केवट (छोटू उस्ताद)
मो. 9826012658, 9131711406

माँ नर्मदा

केटरर्स

107, नार्थ मुसाखेड़ी, अजयबाग कॉलोनी, इन्दौर
शादी, पार्टी, पिकनिक, जन्मदिन पर कच्ची एवं पक्की रसोई की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु सम्पर्क करें।

अनुप यादव
9617246247

अमन यादव
7773007307
8770131488

आवित्री

हाड्वेयर

सेनेटरी एण्ड पेन्ट्स

92 हीरा नगर MR-10 मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.)

त्रिगुण दास बौरासी

कुलदीप बौरासी
मो. 9405852932

लक्ष्मी

आप्टीशियन

सभी प्रकार के नजर व धूप के चश्मे बनाए जाते हैं

फोन : 0731-2545493

352/2, पाटलीपुरा (भेरू मंदिर के पीछे) प्रिंस टेलर के बीच वाली गली में, इंदौर

EOW के सामने उपस्थित होने से बच रही अध्यक्ष छाया जोशी



क्या सीएमओ भी निशाने पर..?

SPECIAL REPORT

नवीन गलकर

खरगोन/इंदौर। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खरगोन नगर पालिका में इन दावों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी बानगी इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर पालिका में हुए भारी भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरण में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस हाई-प्रोफाइल मामले में अध्यक्ष छाया जोशी का रवैया कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि ईओडब्ल्यू द्वारा एक या दो नहीं बल्कि छह से सात बार नोटिस भेजने के बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी जांच एजेंसी के सामने उपस्थित होने से बच रही हैं। आखिर एक जनप्रतिनिधि को कानून के दायरे में आकर अपनी सफाई देने से किस बात का डर है? क्या बार-बार समन मिलने के बाद भी पेश न होना यह साबित नहीं करता कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है?

विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि ईओडब्ल्यू ने इस पूरे प्रकरण के सिलसिले में खरगोन नगर पालिका की सीएमओ से भी संपर्क साधा है। क्या जांच एजेंसी के हाथ कोई ऐसे ठोस सबूत, फाइलें या दस्तावेज लग चुके हैं, जो यह साबित करने के लिए काफी हैं कि इस वित्तीय अनियमितता के खेल में सीएमओ भी अध्यक्ष के साथ बराबर की साझीदार हैं? सूत्रों का कहना है कि लगातार नोटिस मिलने के बाद भी अध्यक्ष का पेश न होना और दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू का सीएमओ से संपर्क का यह घटनाक्रम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में खरगोन नगर पालिका में कभी भी बड़ा प्रशासनिक भूचाल आ सकता है। देखना यह है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानून का डंडा कब और कितनी सख्ती से बरसता है, और कानून के इस शिकंजे से ये खुद को कैसे बचा पाती हैं।

संभाग पोस्ट



भ्रष्टाचारी सब पर भारी?

